संख्या— / II(02)/2021—04(53)/2019

प्रेषक,

उदय राज सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग—02 देहरादून, दिनांक 22 मार्च, 2021

विषयः— नाबार्ड वित्त पोषण के अन्तर्गत निर्माणाधीन लघुडाल नहरों एवं बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के निर्माण कार्यो हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या—101/प्र0अ0 सिं0वि0/बजट/बी—1 (सामान्य), दिनांक 19.03.2021 एवं पत्र संख्या—2444/प्र0अ0/बजट/बी—1 (पुनर्विनियोग), दिनांक 29.01.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड वित्त पोषण के अन्तर्गत निर्माणाधीन लघुडाल नहरों एवं बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के निर्माण कार्यो हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि आवंटन हेतु वित्तीय वर्ष 2020—21 में उक्त योजनान्तर्गत बी0एम0—9(1) प्रपत्र में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत बचतों में से **₹ 3966.51 लाख (रूपये उनतालीस करोड़ छियासठ लाख इक्यावन हजार मात्र)** की धनराशि पुनर्विनियोजित करते हुए उक्त योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में निर्गत मूल/विभिन्न शासनादेशों में उल्लिखित तथा निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय उसी योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि के आरहण एवं व्यय में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश सं0—292/9(150)-2019-XXVII(1)/2020 दिनांक 31 मार्च, 2020 में निर्धारित शर्तों के साथ—2 बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, संशोधित नियमावली के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय—समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
5. जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।
6. प्रमुख अभियन्ता आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0—10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
8. कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमश............2

9. विभाग द्वारा नाबार्ड के अन्तर्गत समस्त Guide lines का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन कार्यों हेतु धनावंटन किया गया है, वे कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हों।
11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत क्रमशः **लेखाशीर्षक 4700**–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–07–उत्तराखण्ड की लघु डाल नहरों का पुनरोद्वार–001–निदेशन तथा प्रशासन–98–01–नहरों का निर्माण (4700070519801 से स्थानान्तरित)–53 वृहद् निर्माण एवं **लेखाशीर्षक–4711**–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–बाढ़ नियंत्रण–103 सिविल निर्माण कार्य–98–01–बाढ़ नियंत्रण कार्य (4711010519801 से स्थानान्तरित)– 53 वृहद् निर्माण कार्य मद नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–346/XXVII(1)/2021, दिनांकः 22 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– **Allotment ID**

भवदीय,

(उदय राज सिंह)
अपर सचिव।

संख्या–538(1)/ I I(02)/2021–04(53)/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कोलागढ़ रोड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
6–नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7–बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।

IFMS Uttarakhand

उत्तराखंड शासन
वित्तीय वर्ष2020 - 2021
बी. ऍम. - 09

अनु[illegible] संख्या -020
पुनर[illegible]योग स्वीकृति आदेश संख्या-

आवंटन आई डी-RE21030200004
दिनांक-22-MAR-2021

क्र. सं.	बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक (1)	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशि (4)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानांतरित की जानी है (5)	पुनरवियोग के बाद स्तथम्ब -5 की योग धनराशि (6)	पुनरवियोग के बाद स्तथम्ब -1 की योग धनराशि	अभिव्यक्ति
	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06-nirmanadheen Canals 001-?????? ??? ??????? 98-नाबार्ड पोषित 01-नहरों का निर्माण (4700060519801 से स्थानान्तरित) (Voted)				4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-Uttarakhand ki Laghu Daal Naharon ka Punarodhar 001-?????? ??? ??????? 98-नाबार्ड पोषित 01-नहरों का निर्माण (4700070519801 से स्थानान्तरित) (Voted)			
[illegible]	53-वृहद निर्माण 1200000000	583125377	588741623	28133000	53-वृहद निर्माण 28133000	128133000	1171867000	
	योग			28133000	28133000			

[illegible] किया जाता है कि पुनर्विनियोग के [illegible] 133, 134 में उल्लेखित प्रावधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।
Appro[illegible]al Status : APPROVED BY OFFICER

संख्या: र०ई०— 346 / XXVII(1) / 2021, दिनांक 22 मार्च, 2021

सेवा में,
महालेखाकार (ए एंड ई)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम— जे०एल० शर्मा, संयुक्त सचिव।
प्रशासनिक विभाग—सिंचाई विभाग।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम— भूपेश चन्द्र तिवारी, अपर सचिव।
वित्त विभाग।

भूपेश चन्द्र तिवारी
अपर सचिव,
कार्मिक एवं वित्त,
उत्तराखण्ड शासन.

संख्या / ।।(2) / 2021—04(53) / 2019, दिनांक
निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषितः—

1— सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी
2— निदेशक कोषागार 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
3— मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—1 एवं 2, उत्तराखण्ड शासन।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम— जे०एल० शर्मा, संयुक्त सचिव।
सिंचाई विभाग।

IFMS Uttarakhand

उत्तराखंड शासन
वित्तीय वर्ष2020 - 2021
बी. ऍम. - 09

अनुदान संख्या -020 | आवंटन आई डी-RE21030200003

पुनरवियोग स्वीकृति आदेश संख्या- | दिनांक-22-MAR-2021

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक (1)	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समाजोजित धनराशि (4)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानांतरित की जानी है (5)	पुनरवियोग के बाद स्तथम्ब -5 की योग धनराशि (6)	पुनरवियोग के बाद स्तथम्ब -1 की योग धनराशि	अभिव्यक्ति
	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 04-Nalkupon Ka Nirman 001-?????? ??? ??????? 98-नाबार्ड पोषित 01-आर आई डी एफ योजना (4700040519801 से स्थानान्तरित) (Voted)				4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-Uttarakhand ki Laghu Daal Naharon ka Punarodhar 001-?????? ??? ??????? 98-नाबार्ड पोषित 01-नहरों का निर्माण (4700070519801 से स्थानान्तरित) (Voted)			
1	53-वृहद निर्माण 200000000	102425071	25707929	71867000	53-वृहद निर्माण 71867000	171867000	128133000	
	योग			71867000	71867000			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनरवियोग के बजट 133, 134 में उल्लेखित प्रावधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

संख्या [illegible]आर0ई0— 346/XXVII(1)/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021

सेवा में,
महालेखाकार (ए एंड ई)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम— जे0एल0 शर्मा, संयुक्त सचिव।
प्रशासनिक विभाग—सिंचाई विभाग।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम— भूपेश चन्द्र तिवारी, अपर सचिव।
वित्त विभाग।

(भूपेश चन्द्र तिवारी)
अपर सचिव,
कार्मिक एवं वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या [illegible]/II(2)/2021—04(53)/2019, दिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषितः—

1— सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी
2— निदेशक कोषागार 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
3— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—1 एवं 2, उत्तराखण्ड शासन।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम— जे0एल0 शर्मा, संयुक्त सचिव।
सिंचाई विभाग।

IFMS Uttarakhand

उत्तराखंड शासन
वित्तीय वर्ष2020 - 2021
बी. एॅम. - 09

अनुदान संख्या -020 | आवंटन आई डी-RE21030200003

पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या- | दिनांक-22-MAR-2021

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक (1)	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समाजोजित धनराशि (4)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानांतरित की जानी है (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्तथम्ब -5 की योग धनराशि (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तथम्ब -1 की योग धनराशि	अभिव्यक्ति
	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 04-Nalkupon Ka Nirman 001-?????? ??? ??????? 98-नाबार्ड पोषित 01-आर आई डी एफ योजना (4700040519801 से स्थानान्तरित) (Voted)				4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07-Uttarakhand ki Laghu Daal Naharon ka Punarodhar 001-?????? ??? ??????? 98-नाबार्ड पोषित 01-नहरों का निर्माण (4700070519801 से स्थानान्तरित) (Voted)			
1	53-वृहद निर्माण 200000000	102425071	25707929	71867000	53-वृहद निर्माण 71867000	171867000	128133000	
	योग			71867000	71867000			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग के बजट 133, 134 में उल्लेखित प्रावधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

संख्या वा0ई0– 346/XXVII(1)/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021

सेवा में,
महालेखाकार (ए एंड ई)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम– जे0एल0 शर्मा, संयुक्त सचिव।
प्रशासनिक विभाग–सिंचाई विभाग।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम– भूपेश चन्द्र तिवारी, अपर सचिव।
वित्त विभाग।

(भूपेश चन्द्र तिवारी)
अपर सचिव,
ऊर्जा एवं वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या ... / II(2)/2021–04(53)/2019, दिनांक
निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषितः–

1– सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी
2– निदेशक कोषागार 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1 एवं 2, उत्तराखण्ड शासन।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम– जे0एल0 शर्मा, संयुक्त सचिव।
सिंचाई विभाग।